Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

130-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2026 (BHADRA 4, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 26th August, 2026

No. 16-HLA of 2026/102/14706.— The Haryana Local Audit Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 16- HLA of 2026

A

BILL

to provide an effective and efficient audit system for all local authorities and other authorities, bodies or institutions and local fund and for matters connected therewith and incidental thereto;

WHEREAS, the Thirteenth Finance Commission (2010-2015), in sub-para (ii) of para 10.161 of its report- Volume-I recommended that the State Government must put in place an audit system for all local bodies (all categories of urban local bodies and all tiers of panchayati raj institutions) and the Comptroller and Auditor General of India must give technical guidance and supervision over the audit of all local bodies in a State at every tier/category;

WHEREAS, it has become imperative to ensure effective spending of the grants of the Government of India and the State Government by the local authorities and other authorities and to promote public confidence on the utilization/expended of the public money by the local authorities and other authorities established by the State Government;

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows: -

1. (1) This Act may be called the Haryana Local Audit Act, 2026. Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "administrative secretary" means the Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, as the case may be;

(b) "audit" means cent percent audit, pre audit, concurrent audit, post audit, test audit, special audit and such other examination of accounts and transactions as the Government may, from time to time, specify;

(c) "auditor" means an officer/official of the Local Audit Department entrusted by the Director to conduct audit;

(d) "cent percent audit" means a post audit of all the transactions of a particular account for the whole financial year or for such period, as may be specified by the Director;

(e) "concurrent audit" means a continuous audit of accounts of day-to-day transactions;

(f) "Director" means the Director, Local Audit Department, Haryana;

(g) "executive authority" means Commissioner/ Executive Officer/Secretary in case of urban local bodies and Chief Executive Officer, Block Development and Panchayat Officer-cum-Executive Officer, Sarpanch in case of panchayati raj institutions or competent authority of such other local authority, as the case may be;

(h) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(i) "local authority" means and include such authorities as specified in the Schedule appended to this Act;

(j) "local fund" means and include the funds as specified in the Schedule and any other fund which the Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a local fund;

(k) "post audit" means the detailed audit conducted after the completion of transactions;

(l) "pre audit" means audit of day to day transactions before withdrawal or adjustment of payment out of a local fund;

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

(o) "special audit" means an audit of accounts and transactions pertaining to a specified item or series of items requiring thorough examination, and includes re-audit of the accounts for a period already covered by audit;

(p) "State Government" means the Government of the State of Haryana;

(q) "surcharge" means an amount for which the Director makes a person liable for loss, waste, mis-application or mis-appropriation of any money or property;

(r) "test audit" means a selective sample based examination of accounts and transactions.

Audit of accounts.

3. (1) An auditor shall conduct the audit annually/bi-annually or at such intervals, as he may deem fit.

(2) An auditor shall audit the accounts of a local authority or local fund in such manner, as may be specified and while conducting audit, an auditor shall exercise the powers and perform the functions of the Director under this Act.

(3) An auditor may also conduct pre audit, concurrent audit or post audit of any local authority or local fund as found necessary under the provisions of any law governing them or as may be directed by the Director in consultation with the Government.

Power to audit any authority, body, institution or fund not included in Schedule.

4. The Director may, with the previous sanction of the Government and without prejudice to the provisions of section 3, audit the accounts of any authority, body, institution or fund not included in the Schedule subject to such terms and conditions, as may be agreed upon between the Director and the person responsible for the administration of such authority, body, institution or fund.

Liability of executive authority to prepare and present accounts for audit.

5. (1) The accounts of a local authority relating to every financial year shall be prepared or caused to be prepared by executive authority for audit within three months from the end of the financial year, in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The Director may recommend the Government to withhold the release of funds to a local authority which fails to furnish accounts for audit on expiry of three months from the end of the financial year.

Power to require production of accounts and attendance of persons for audit.

6. (1) For the purposes of audit under this Act, an auditor may,-

(a) require in writing, the production at the place of audit, such vouchers, statements, returns, correspondences, notes or any other documents including documents in electronic form, the perusal or examination of which are necessary for the elucidation of the accounts and transactions;

(b) require in writing, any employee of a local authority or an authority administering the local fund mentioned in the Schedule accountable for or having the custody or control of such vouchers, statements, returns, correspondences, notes or other documents including documents in electronic form or any person having directly or indirectly, any share or interest in any contract with the local authority or the authority which administers the local fund to appear in person before him and answer any question and require any person so appearing to make and sign a declaration with respect to such document or to prepare and furnish any statement relating thereto; and

(c) in the event of an explanation being required from any officer or member of a local authority or an authority administering the local fund, invite such person and shall in writing, specify the point on which his explanation is required.

(2) An auditor may, in any requisition made under sub-section (1) specify a period of not less than three days within which the said requisition shall be complied with.

Penalty for disobeying requisition.

7. Any person who willfully neglects or refuses to comply with any requisition lawfully made upon him under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 6 shall be liable to a penalty which shall not less than one thousand rupees but may extend to five thousand rupees:

Provided that no such penalty shall be imposed against any person unless he has been given a notice to show cause why the penalty should not be imposed within a period of fifteen days of such notice.

Completion of audit of accounts.

8. The audit of the accounts prepared and presented for audit under section 5 shall be completed by an auditor within a period not exceeding six months or such period, as may be prescribed.

Audit report to be sent to executive authority and certain officers and bodies.

9. As soon as practicable after the completion of the audit but not later than three months thereafter, the Director shall send a report to the executive authority concerned on the accounts audited and copies of the report to such officers and bodies or institutions, as the case may be.

Contents of audit report.

10. The audit report issued by the Director shall include,-

(a) any payment which appears to have been made contrary to any law or order of the Government;

(b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been caused by the negligence or misconduct of any person in the performance of his duties;

(c) any case of misappropriation or improper utilization of the fund;

(d) the amount, if any, received which ought to have been brought into account but not taken;

(e) any other material impropriety or irregularity observed in the audit; and

(f) remedial action and suggestion to improve the accounting system.

Procedure to be followed by executive authority on receipt of audit report.

11. (1) On receipt of the audit report sent under section 9, the executive authority shall, within a period of two months, either remedy the defects or irregularities, if any, pointed out therein and place the audit report together with a statement of action taken or proposed to be taken thereon before the meeting of the governing body of the authority concerned. The executive authority shall also, within a month from the date of the said meeting, send to the Director, a report of having remedied the said defects/irregularities or submit an explanation in regard to such defects/ irregularities.

(2) On receipt of such report or explanation, the Director may-

(a) accept the report of having remedied the defects/ irregularities or the explanation in regard thereto and drop the objection; or

(b) hold that any or all of the defects/irregularities pointed out in the audit report have not been remedied.

(3) The Director shall, within two months from the date of receipt of the report or explanation, or if no such report or explanation is received, on expiry of the total period of three months referred to in sub-section (1), pass an order thereon. If the Director holds that any defect or irregularity pointed out in the audit report has not been remedied, he shall state in the order, -

(a) whether the defect or irregularity can be regularized and if so, by what method; or

(b) if the defect or irregularity cannot be regularized, whether they can be condoned and, if so, by what authority; and

(c) whether the amount to which the defect or irregularity relates to, in his opinion, be charged and, if so, against whom.

(4) The local authority or any other authority, body or institution administering the local fund shall publish in its next administrative report, extract of the defect or irregularity, if any, pointed out in the audit report, the explanation, if any, given by the executive authority under sub-section (1) and the order passed thereon by the Director under sub-section (3) above.

(5) Nothing in this section or section 10 shall preclude the Director, at any time, from bringing to the notice of the Government such actions as may be necessary, any information which appears to the Director to support a presumption of criminal misappropriation or fraud or, which, in his opinion, deserves special attention or immediate investigation.

Director to surcharge illegal payments and loss caused by negligence or misconduct.

12. (1) The Director may disallow any payment which appears to him to be contrary to law and surcharge the same against the person making or person or body of persons authorizing the making of the illegal payment and may charge against any person responsible therefor, the amount of any deficiency or loss caused by the negligence or misconduct of that person or any sum received which ought to have been, but has not been brought into account by that person and shall, in every such case, certify the amount due from such person.

(2) Any person aggrieved by the surcharge may, within one month from the date of receipt of the decision of the Director may apply to the administrative secretary, to set aside the surcharge and he, after taking such evidence as is necessary, may confirm, modify or remit the same.

(3) Every sum certified to be due from any person by the Director under this Act shall be paid by such person to the executive authority within one month from the date of intimation of the decision of the Director to him unless, such person has filed an application against the decision under sub-section (2) above within such time and such amount, if not so paid, or such amount as due, may be recovered as an arrear of land revenue.

Powers and functions of Director.

13. The Director shall exercise the following powers and performs the following functions, namely: -

(i) to settle the audit objections included in the audit report;

(ii) may approach the Principal Accountant General to provide necessary technical guidance and support on the audit and maintenance of accounts and transactions of a local authority or local fund;

(iii) may condone any payment made from a local fund of a sum not exceeding ten thousand rupees or such amount of sum, as may be prescribed, which appears to him to be contrary to law, if in his opinion, there was no negligence or misconduct on the part of the person making or authorizing such payment; and

(iv) any other power and function, as may be prescribed.

Delegation of powers and functions.

14. The Director may, by general or special-order delegate to an auditor all or any of the powers to be exercised or functions to be performed by him under this Act or the rules made thereunder except the power under clause (iii) of section 13, subject to such conditions if any, as specified in that order.

Payment of cost of audit.

15. (1) The cost of audit of accounts and transactions as specified by the Government shall be paid by the authority concerned.

(2) The Government may, by general or special order, exempt, either wholly or in part, any authority from the liability to pay the cost of audit under sub-section (1).

(3) If the cost of audit due under sub-section (1) is not paid within one year from the date of it becoming due, the Government may on the recommendation of the Director adjust the same against the grant or other sums, if any, payable to such authority:

Provided that if no grant or other sums is payable to such authority, the cost of audit shall be recovered by the Director in such manner, as may be prescribed.

16. The Director may, when circumstances so warrant, dispense with detailed audit of any account or class of transactions and apply such limited check in relation to such accounts or transactions, as he may deem fit. Power to dispense with detailed audit.

17. (1) Whenever any defalcation or loss in money or stores of any local authority or authority, body or institution administering the local fund caused due to misappropriation, theft or natural calamities is detected, the fact shall be promptly reported by the authority to the Director giving in detail the circumstances which led to such defalcation or loss. Defalcation or loss in money or stores to be reported by the executive authority.

(2) On receipt of a report under sub-section (1), the Director shall immediately conduct or cause to conduct a special audit of the accounts and transactions of that authority:

Provided that nothing in this section shall prevent the executive authority from initiating criminal proceedings against any person suspected of, or involved in, any defalcation or loss of money or stores.

18. The Director shall submit a consolidated report of the accounts and transactions of executive authorities audited by him containing such particulars which he intends to bring to the notice of the Government and the Government shall cause the consolidated report to be laid, as soon as may be, after it is received, before the State Legislature. Laying of audit report.

19. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any action taken or to be taken by the Government or the Director or any officer in pursuance of any power conferred by or under this Act. Bar of jurisdiction.

20. All audit of accounts and transactions pending at the commencement of this Act in respect of any local authority or other authority shall, notwithstanding anything contained in this Act, be continued and completed by the Director, within such time, as may be prescribed, as if this Act has not been enacted. Special provision for pending audit.

21. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law made by the Legislative of the State for the time being in force. Act to override other enactments.

22. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Director or any officer under this Act or any official acting under the directions of such officer, for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rule or order made there under. Protection of action taken in good faith.

23. The Director or other officers while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rule made there under shall be deemed to be public servants within the meaning of clause (28) section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023). Public servants.

24. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.

25. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provision of this Act, as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislature.

26. The Government may, by notification, in the Official Gazette, add any entry to the Schedule: Power to amend Schedule.

Provided that no local authority and local fund shall be omitted from the Schedule except by the authority of law made by the State Legislature.

27. The provisions of this Act shall not apply to any case, suit, appeal, revision petition or any other proceeding that may be pending at the commencement of this Act before the Director, Government or civil court and the law in force immediately before the commencement of this Act shall, notwithstanding anything contained in this Act, continue to apply to such cases, suits, appeals, revision petitions or other proceedings. Savings

THE SCHEDULE

(see section 2)

I. Local authority

1. All Municipal Corporations
2. All Municipal Councils
3. All Municipal Committees
4. All Zila Parishads
5. All Panchayat Samities
6. All Gram Panchayats
7. All State universities
8. Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar
9. Board of School Education Haryana, Bhiwani
10. Maharaja Agrasen Medical College

II. Local fund

1. The charitable endowment funds
2. All relief funds
3. All State Government/State Government aided educational institutions including engineering and medical college.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of Acts/Rules of Local Audit Departments of other states in India and the same functioning of the Local Audit Department Haryana, there is requirement of preparing an Act of the department to provide a robust statutory framework that empowers the Local Audit Department, Haryana, to conduct independent, timely, and effective audits of Local Bodies (Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies) and other miscellaneous Local Fund Institutions i.e. all State Universities, Board of School Education, Bhiwani, Maharaja Aggarsain Medical College, Government/ Government Aided High Schools, Senior Secondary Schools, Colleges and any other authority, body or institution established by or under any law or order of Government and any other fund which the Government may by notification in the gazette, declare to be a local fund for the purpose of this act.

It is required for strong legal powers to compel the production of records or enforce accountability of the auditee institutions to the Auditors and for developing strict legal mechanism to ensure local authorities to reply the audit paras within a fixed time frame. The Act will legally empower the Director of Local Audit to issue surcharge notices directly to the responsible for financial irregularities. This act will provide statutory backing to protects the audit framework from local political or administrative interference. It mandates statutory timelines for submitting annual audit reports to the State Legislature, ensuring transparency.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

CHANDIGARH:
The 26th August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The State Government is going to enact the Haryana Local Audit Bill, 2026 to provide an effective and efficient audit system for all local authorities and other authorities, bodies or institutions and local fund and for matters connected therewith and incidental thereto; as per recommendations of the Thirteenth Finance Commission (2010-2015), in sub-para (ii) of para 10.161 of its report- Volume-I.

In order to align the provision of Payment of cost of audit, the department will charge audit fee from all local authorities and other authorities, bodies or institutions and local fund etc. for rendering audit services.

The proposed enactment (Section-15) of the Haryana Local Audit Bill, 2026 is to:

"15. (1) The cost of audit of accounts and transactions as specified by the Government shall be paid by the authority concerned.

(2) The Government may, by general or special order, exempt, either wholly or in part, any authority from the liability to pay the cost of audit under sub-section (1).

(3) If the cost of audit due under sub-section (l) is not paid within one year from the date of it becoming due, the Government may on the recommendation of the Director adjust the same against the grant or other sums, if any, payable to such authority:

Provided that if no grant or other sums is payable to such authority, the cost of audit shall be recovered by the Director in such manner, as may be prescribed".

Accordingly, the Haryana Local Audit Bill, 2026 is required.

Memorandum regarding delegated legislation

The Haryana Local Audit Bill, 2026 to provide an effective and efficient audit system for all local authorities and other authorities, bodies or institutions and for matters connected therewith and incidental thereto. The main object of this bill to facilitate accountability through appropriate auditing system of accountable and auditable entities having local funds.

Section-3 of the Haryana Local Audit Bill, 2026 regarding provision for conducting various types of audit i.e. annually/bi-annually, pre-audit, concurrent audit or post audit etc. Section-4 Power to audit accounts of certain authorities, bodies, institutions or funds not included in the Schedule for conducting audit subject to such terms and conditions, as may be agreed upon between the Director and the person responsible for the administration of such authority, body, institution or fund not included in the Schedule. Section-5 Liability of the Executive authority to prepare and present accounts for audit in time. Section-6 Power to require production of accounts and attendance of persons for audit all relevant record at the place of audit which are necessary for the elucidation of the accounts. To appear in person (any employee of a local authority or an authority which administers a local fund) before the auditor for answering any question. Section-7 Penalty for disobeying requisition to any person who willfully neglects or refuses to comply with any requisition shall be punishable with a fine of not less than one thousand rupees, which may extend to five thousand rupees. Section-8 Completion of audit of accounts prepared and presented for audit under section 5 shall be completed within a period of not exceeding six months or as may be prescribed. Section-9 Audit report to be sent to Executive authority and certain officers and bodies/institutions after completion of audit within three months. Section-10 Contents of audit report i.e. any payment which appears to have been made contrary to any law or order of the Government; the amount of any deficiency or loss which appears to have been caused by the negligence or misconduct of any person etc. Section-11 Procedure to be followed on receipt of audit is defined for both issuing authority and receiving authority. Section-12 Director to surcharge illegal payments and loss caused by negligence or misconduct and its procedure defined under this section. Surcharge means an amount for which the Director makes a person liable for loss, waste, misapplication or misappropriation of any money or other property. Section-13 Powers of Director regarding settlement of audit objections, approaching Principal Accountant General of the State etc. Section-14 regarding delegation of powers and function of Director. Section-15 Defining manner of charging audit fee for conducting audit of auditee institutions. Section-16 Power to dispense with detailed audit to apply such limited check in relation to audit of such accounts or transactions, as Director may deem fit. Section-17 regarding any defalcation or loss in money or stores of any local authority or authority, body or institution caused due to misappropriation, theft or natural calamities is detected; the fact shall be promptly reported by the authority to the Director. Section-18 Laying of consolidated audit report on the accounts of ULBs/PRIs audited by Local Audit containing such particulars which he intends to bring to the notice of the Government and the Government shall cause the consolidated report to be laid, as soon as may be, after it is received, before the State Legislation. Section-19 Bar of jurisdiction of civil courts to protect the auditors from Civil Suits who are working by using the powers provided under this act. Section-20 Special provision for Pending audit of accounts at the commencement of this Act in respect of any local authority or other authority shall, be continued and completed by the Director. Section-21 Act to override other enactments- No provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law made by the Legislative of the State for the time being in force. Section-22 Protection of action taken in good faith for making provision that no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Director or any officer for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rule or order made there under. Section-23 for defining that Director or other officers to be public servants within the meaning of clause (28) section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 Central Act 45 of 2023. Section-24 provides Power to make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act. Section-25 Power to remove difficulties which arises in giving effect to the provisions of this Act. Section-26 Power to amend Schedule, by notification, in the official gazette. Section-27 Savings – This Act shall not apply to any suit, appeal, revision petition and any other proceedings commenced before the commencement of the Act.

This delegation of power to the executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required in rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 16 एच.एल.ए.

हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा विधेयक, 2026
सभी स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थाओं तथा स्थानीय निधि के लिए प्रभावी और दक्ष लेखा–परीक्षा प्रणाली और उससे सम्बद्ध तथा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु
विधेयक

चूंकि, तेरहवें वित्त आयोग (2010–2015) ने अपनी रिपोर्ट–जिल्द–I के पैरा 10.161 के उप–पैरा (ii) में अनुशंसा की है कि राज्य सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों के सभी प्रवर्ग और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर) के लिए एक लेखा–परीक्षा प्रणाली रखनी चाहिए और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य में प्रत्येक स्तर/प्रवर्ग पर सभी स्थानीय निकायों की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन देना चाहिए और पर्यवेक्षण करना चाहिए;

चूंकि, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के अनुदानों के प्रभावी व्यय को सुनिश्चित करना और राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा लोक धन के उपयोग/व्यय पर लोक विश्वास को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है;

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, जैसी भी स्थिति हो;

(ख) "लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, सत प्रतिशत लेखा–परीक्षा, पूर्व–लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, पश्च–लेखा–परीक्षा, नमूना लेखा–परीक्षा, विशेष लेखा–परीक्षा तथा लेखों और संव्यवहार की ऐसी अन्य जांच, जो सरकार, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे;

(ग) "लेखा–परीक्षक" से अभिप्राय है, स्थानीय लेखा–परीक्षा विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी, जिसे निदेशक द्वारा लेखा–परीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है;

(घ) "सत प्रतिशत लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष या ऐसी अवधि, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए विशेष लेखे के सभी संव्यवहारों की पश्च लेखा–परीक्षा;

(ङ) "समवर्ती लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, दिन–प्रतिदिन के लेखों की निरंतर लेखा–परीक्षा;

(च) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, हरियाणा;

(छ) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अभिप्राय है, शहरी स्थानीय निकाय के मामले में आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव तथा पंचायती राज संस्थाओं के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी–सह–कार्यकारी अधिकारी, सरपंच या ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण का सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो;

(ज) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(झ) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्राय है तथा इसमें ऐसे प्राधिकरण शामिल हैं, जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(ञ) "स्थानीय निधि" से अभिप्राय है तथा इसमें अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निधियां तथा ऐसी अन्य निधि शामिल है, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्थानीय निधि के रूप में घोषित करे;

(ट) "पश्च–लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, संव्यवहारों के समापन के बाद ब्योरेवार की गई लेखा–परीक्षा;

(ठ) "पूर्व–लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, स्थानीय निधि में से भुगतान के आहरण या समायोजन से पूर्व दिन–प्रतिदिन के संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा;

(ड) "विहित" से अभिप्राय है; इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ढ़) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ण) "विशेष लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, विस्तृत जांच की अपेक्षा वाली किसी विशिष्ट मद या मदों की श्रृंखला से संबंधित लेखों और संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा तथा इसमें उन लेखों की दोबारा लेखा–परीक्षा करना भी शामिल है, जिनकी लेखा–परीक्षा पहले ही की जा चुकी है;

(त) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(थ) "अधिभार" से अभिप्राय है, ऐसी राशि, जिसके लिए निदेशक, किसी व्यक्ति को धनराशि या सम्पत्ति की हानि, बर्बादी, दुरुपयोग, दुर्विनियोग के लिए जिम्मेवार ठहराता है;

(द) "नमूना लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, लेखों और संव्यवहारों की चयनात्मक सैम्पल आधारित लेखा–परीक्षा।

लेखों की लेखा–परीक्षा।

3. (1) लेखा–परीक्षक, वार्षिक / द्विवार्षिक या ऐसे अन्तरालों, जो वह उचित समझे, पर लेखा–परीक्षा करेगा।

(2) लेखा–परीक्षक, स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि की ऐसी रीति, जो विनिर्दिष्ट की जाए, में लेखा–परीक्षा करेगा और लेखा–परीक्षा करते समय, लेखा–परीक्षक इस अधिनियम के अधीन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का पालन करेगा।

(3) लेखा–परीक्षक, किसी स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि की पूर्व लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा या पश्च–लेखा–परीक्षा भी कर सकता है, जो उन्हें शासित करने वाली किसी विधि के उपबंधों के अधीन आवश्यक पाई जाए या जो सरकार के परामर्श से निदेशक द्वारा निर्देशित की जाए।

ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय, संस्था या निधि, जो अनुसूची में शामिल नहीं है, की लेखा–परीक्षा करने की शक्ति।

4. निदेशक, सरकार की पूर्व स्वीकृति से और धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो निदेशक और ऐसे प्राधिकरण, निकाय, संस्था या निधि के प्रशासन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के मध्य करार की जाएं, के अध्यधीन ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय, संस्था या निधि के लेखों की लेखा–परीक्षा कर सकता है, जो अनुसूची में शामिल नहीं हैं।

लेखा–परीक्षा हेतु लेखों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी प्राधिकारी का दायित्व।

5. (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखे, कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में वित्त वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर लेखा–परीक्षा करवाने हेतु तैयार किए जाएंगे या करवाए जाएंगे।

(2) निदेशक, सरकार को उस स्थानीय प्राधिकरण को निधियाँ जारी करने से रोकने की अनुशंसा कर सकता है, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास की समाप्ति पर लेखा–परीक्षा करने हेतु लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

लेखा–परीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने तथा व्यक्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की शक्ति।

6. (1) इस अधिनियम के अधीन लेखा–परीक्षा करने के प्रयोजनों हेतु, लेखा–परीक्षक,–

(क) लिखित में, लेखा–परीक्षा के स्थान पर, ऐसे वाउचरों, विवरणों, विवरणियों, पत्राचारों, टिप्पणियों या किसी अन्य दस्तावेज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज शामिल हैं, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिनका लेखों तथा संव्यवहारों के विशदीकरण के लिए अवलोकन अथवा जाँच करना आवश्यक हो;

(ख) लिखित में, ऐसे वाउचरों, विवरणों, विवरणियों, पत्राचारों, टिप्पणियों या किसी अन्य दस्तावेज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज भी शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी अथवा उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाले अनुसूची में वर्णित किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर्मचारी या स्थानीय निधि का प्रशासन करने वाले प्राधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकारी, जो स्थानीय निधि प्रशासित करता है, के साथ किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हिस्सा या हित रखने वाले किसी व्यक्ति से अपने सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और किसी प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रकार उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज के संबंध में घोषणा और हस्ताक्षर करने या उससे संबंधित कोई विवरण तैयार और प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है; तथा

(ग) किसी स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि को प्रशासित करने वाले किसी प्राधिकरण के किसी अधिकारी या सदस्य से किसी मामले में स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, तो ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है और ऐसे बिन्दु, जिस पर उसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है, को लिखित में विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) लेखा–परीक्षक, उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा में कम से कम तीन दिन की अवधि विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसके भीतर उक्त अध्यपेक्षा की अनुपालना की जाए।

अध्यपेक्षा की अवज्ञा हेतु शास्ति।

7. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उसको विधिपूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा की अनुपालना करने में उपेक्षा करता है अथवा करने से इनकार करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक हजार रुपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पांच हजार रुपए तक की हो सकेगीः

परन्तु किसी व्यक्ति पर ऐसी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक उसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया हो कि क्यों न ऐसे नोटिस के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर शास्ति अधिरोपित की जाए।

लेखों की लेखा–परीक्षा का पूरा होना।

8. धारा 5 के अधीन लेखा–परीक्षा के लिए तैयार किए गए तथा प्रस्तुत किए गए लेखों की लेखा–परीक्षा, लेखा–परीक्षक द्वारा छह मास से अनधिक की अवधि अथवा ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के भीतर पूरी की जाएगी।

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी प्राधिकारी तथा कतिपय अधिकारियों तथा निकायों को भेजी जानी।

9. लेखा–परीक्षा के पूरा होने के बाद यथासंभव यथाशक्य किन्तु उसके तीन मास के अपश्चात्, निदेशक, संबंधित कार्यकारी प्राधिकारी को लेखा–परीक्षित लेखों पर रिपोर्ट भेजेगा और ऐसे अधिकारियों तथा निकायों या संस्थाओं, जैसी भी स्थिति हो, को रिपोर्ट की प्रतियां भेजेगा।

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की विषय–वस्तु।

10. निदेशक द्वारा जारी की गई लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे,–

(क) कोई भुगतान, जो किसी विधि या सरकार के आदेश के प्रतिकूल की गई प्रतीत हो;

(ख) किसी कमी अथवा हानि की राशि, जो किसी व्यक्ति के अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा या कदाचार के कारण हुई प्रतीत हो;

(ग) निधि के दुर्विनियोग या अनुचित उपयोग का कोई मामला;

(घ) प्राप्त की गई राशि, यदि कोई हो, जिसे लेखे में लिया जाना चाहिए था किन्तु नहीं लिया गया;

(ङ) लेखा–परीक्षा में पाई गई कोई अन्य अनुचित सामग्री या अनियमितता;

(च) लेखा प्रणाली को सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई और सुझाव।

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

11. (1) धारा 9 के अधीन भेजी गई लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कार्यकारी प्राधिकारी, दो मास की अवधि के भीतर, या तो लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में बताई गई कमियों या अनियमितताओं, यदि कोई हों, को सुधारेगा और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर की गई अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण सहित लेखा–परीक्षा रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के शासकीय निकाय की बैठक के सम्मुख रखेगा। कार्यकारी प्राधिकारी, उक्त बैठक की तिथि से एक मास के भीतर, निदेशक को भी उक्त कमियों/अनियमितताओं में सुधार करने वाली रिपोर्ट भेजेगा या ऐसी कमियों/अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर, निदेशक–

(क) कमियों/अनियमितताओं में सुधार वाली रिपोर्ट या इसके संबंध में स्पष्टीकरण स्वीकार कर सकता है तथा आक्षेप वापस ले सकता है; अथवा

(ख) निर्णय कर सकता है कि लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान में आई किसी भी या सभी कमियों/अनियमितताओं में सुधार नहीं किया गया है।

(3) निदेशक, रिपोर्ट या स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तिथि से दो मास के भीतर या यदि कोई ऐसी रिपोर्ट या स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीन मास की कुल अवधि की समाप्ति पर, उस पर आदेश पारित करेगा। यदि निदेशक निर्णय करता है कि लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान में आई किसी कमी या अनियमितता में सुधार नहीं किया गया है, तो वह क्रम से कथित करेगा,–

(क) कि क्या कमी या अनियमितता को विनियमित किया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो किसी तरीके से; अथवा

(ख) कि यदि कमी या अनियमितता को विनियमित नहीं किया जा सकता तो क्या वे माफ किए जा सकते हैं तथा यदि ऐसा है, तो किस प्राधिकार से; तथा

(ग) कि उसकी राय में, राशि, जिससे कमी या अनियमितता संबंधित है, प्रभारित की जा सकती है तथा यदि ऐसा है तो किसके विरुद्ध।

(4) स्थानीय प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकारी, निकाय या संस्था जो स्थानीय निधि को प्रशासित करती है, उपधारा (1) के अधीन कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान में आई कमी या अनियमितता का उद्धरण, यदि कोई हो, स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तथा उपरोक्त उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा उस पर पारित किया गया आदेश अपनी आगामी प्रशासकीय रिपोर्ट में प्रकाशित करेगा।

(5) इस धारा या धारा 10 की कोई भी बात, निदेशक को, किसी भी समय, ऐसी कार्रवाइयों, जो आवश्यक हों, कोई सूचना, जो निदेशक को आपराधिक दुर्विनियोग या धोखा अथवा, जो उसकी राय में, विशेष ध्यान या तुरंत जांच के लिए अपेक्षित है, की परिकल्पना में सहायक प्रतीत हो, सरकार के ध्यान में लाने से नहीं रोकेगी।

उपेक्षा या कदाचार के कारण अवैध भुगतानों और हानि के लिए निदेशक द्वारा अधिभार लगाना।

12. (1) निदेशक, किसी भी भुगतान, जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो, को अस्वीकार कर सकता है और अवैध भुगतान करने वाले व्यक्ति या को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के विरुद्ध अधिभार लगा सकता है तथा उस व्यक्ति की उपेक्षा या कदाचार के कारण राशि में किसी कमी या हानि, या प्राप्त की गई कोई धनराशि, जो उस व्यक्ति द्वारा लेखे में ली जानी चाहिए थी किन्तु नहीं ली गई, के लिए जिम्मेवार किसी व्यक्ति से उसे वसूल कर सकता है और प्रत्येक ऐसे मामले में, ऐसे व्यक्ति से देय राशि प्रमाणित करेगा।

(2) अधिभार से व्यथित कोई व्यक्ति, निदेशक के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर, अधिभार को अपास्त करने के लिए प्रशासकीय सचिव को आवेदन कर सकता है और वह ऐसे साक्ष्य, जो आवश्यक हों, लेने के बाद उसे पुष्ट, उपांतरित या माफ कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन निदेशक द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति से देय प्रत्येक राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे निदेशक के निर्णय की सूचना की तिथि से एक मास के भीतर कार्यकारी प्राधिकारी को भुगतान की जाएगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समय के भीतर उपरोक्त उप–धारा (2) के अधीन निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर न की हो और ऐसी राशि, यदि इस प्रकार भुगतान नहीं की गई हो, या यथा देय ऐसी राशि भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूल की जाएगी।

निदेशक की शक्तियां तथा कृत्य।

13. निदेशक, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(i) लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए गए लेखा–परीक्षा आक्षेपों का निपटान करना;

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि की लेखा–परीक्षा तथा लेखों के रख–रखाव तथा संव्यवहार के संबंध में आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान महालेखाकार से संपर्क कर सकता है;

(iii) स्थानीय निधि से दस हजार रुपए से अनधिक की राशि या ऐसी धनराशि, जो विहित की जाए, से किए गए किसी भुगतान को माफ कर सकता है, जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो, यदि उसकी राय में, ऐसे भुगतान को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की ओर से ऐसी कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी या कदाचार नहीं किया गया था; तथा

(iv) कोई अन्य शक्ति एवं कृत्य, जो विहित किए जाएं।

शक्तियों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन।

14. धारा 13 के खंड (iii) के अधीन प्रदत्त शक्ति के सिवाय, निदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उस द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या कोई भी शक्ति या किए जाने वाले कार्यों को लेखा–परीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकता है।

लेखा–परीक्षा की लागत का भुगतान।

15. (1) सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेखों तथा संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा की लागत सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जाएगी।

(2) सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन लेखा–परीक्षा की लागत का भुगतान करने के दायित्व से किसी प्राधिकरण को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दे सकती है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन लेखा–परीक्षा की देय लागत का भुगतान इसके देय होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है, तो सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, ऐसे प्राधिकरण को भुगतान योग्य अनुदान या अन्य धनराशि, यदि कोई हो, के सापेक्ष उसे समायोजित कर सकती हैः

परन्तु यदि ऐसे प्राधिकरण को कोई अनुदान या अन्य राशि भुगतान योग्य नहीं है, तो लेखा–परीक्षा की लागत, निदेशक द्वारा ऐसी रीति में वसूल की जाएगी, जो विहित की जाए।

विस्तृत लेखा–परीक्षा से छूट देने की शक्ति।

16. निदेशक, जब ऐसी परिस्थितियां हों, किसी लेखे या संव्यवहारों की श्रेणी की विस्तृत लेखा–परीक्षा करवाने से छूट दे सकता है और ऐसे लेखे और संव्यवहारों के संदर्भ में ऐसी सीमित जांच लागू कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा धनराशि या सामान के गबन या हानि की रिपोर्ट देना।

17. (1) जब कभी किसी स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरण, निकाय या संस्था जो स्थानीय निधि को प्रशासित करती है, को दुर्विनियोग, चोरी या प्राकृतिक आपदा के कारण धनराशि या सामान के गबन या हानि का पता चलता है, तो प्राधिकरण द्वारा परिस्थितियों, जिनसे ऐसा गबन या हानि हुई है, के ब्योरे देते हुए निदेशक को तत्काल रिपोर्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, निदेशक उस प्राधिकरण के लेखों और संव्यवहारों की तुरंत विशेष लेखा–परीक्षा करेगा या करवाएगाः

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, कार्यकारी प्राधिकारी को धनराशि या सामान के किसी गबन या हानि के संदिग्ध या उसमें शामिल किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई संस्थित करने से नहीं रोकेगी।

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट रखवाना।

18. निदेशक ऐसे ब्योरे, जो वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता है, देते हुए उसके द्वारा कार्यकारी प्राधिकारियों की करवाई गई लेखा–परीक्षा के लेखों और संव्यवहारों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सरकार समेकित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख इसे रखवाएगी।

अधिकारिता का वर्जन।

19. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में सरकार या निदेशक या किसी अधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

लंबित लेखा–परीक्षा के लिए विशेष उपबंध।

20. किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित सभी लेखों और संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा, इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, निदेशक द्वारा ऐसे समय, जो विहित किया जाए, के भीतर संगणित और पूरी की जाएगी, मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ हो।

अन्य अधिनियमितियों पर अधिनियम का अध्यारोही होना।

21. इस अधिनियम के उपबंध, राज्य की विधायिका द्वारा बनाई गई और तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन निदेशक या किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के निर्देशाधीन कार्यरत किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाइयां नहीं हो सकेंगी।

लोक सेवक।

23. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित निदेशक या अन्य अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

24. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंध से अनअसंगत ऐसा उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समाचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

26. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकती हैः

परन्तु किसी स्थानीय प्राधिकरण और स्थानीय निधि का लोप राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के प्राधिकार के सिवाय अनुसूची से नहीं किया जाएगा।

व्यावृत्ति।

27. इस अधिनियम के उपबंध ऐसे किसी मामले, वाद अपील, पुनरीक्षण याचिका या किसी अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर निदेशक, सरकार या सिविल न्यायालय के सम्मुख लंबित हो और इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व लागू विधि, इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामलों, विवादों, अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं या अन्य कार्यवाहियों पर निरंतर लागू रहेगी।

अनुसूची

(देखिए धारा 2)

I. स्थानीय प्राधिकरण

1. सभी नगर निगम
2. सभी नगरपालिका परिषदें
3. सभी नगरपालिका समितियां
4. सभी जिला परिषदें
5. सभी पंचायत समितियां
6. सभी ग्राम पंचायतें
7. सभी राज्य विश्वविद्यालय
8. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
9. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
10. महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय

II. स्थानीय निधि

1. धर्मार्थ विन्यास निधियां
2. सभी राहत निधियां
3. अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालय सहित सभी राज्य सरकार/ राज्य सरकार की सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत के अन्य राज्यों के स्थानीय लेखा परीक्षा विभागों के अधिनियमों/नियमों को तथा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की समान कार्यप्रणाली को देखते हुए, विभाग के लिए एक अधिनियम तैयार करने की भी आवश्यकता है, ताकि एक मजबूत वैधानिक ढांचा प्रदान किया जा सके जो स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हरियाणा को स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों) तथा अन्य विविध स्थानीय निधि संस्थानों जैसे कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूलों, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों और किसी भी कानून या सरकार के आदेश द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण, निकाय या संस्थान तथा किसी अन्य निधि जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए स्थानीय निधि घोषित करे, की स्वतंत्र, समयबद्ध और प्रभावी लेखा परीक्षा करने के लिए सशक्त बनाए।

लेखा परीक्षकों के प्रति लेखा परीक्षित संस्थानों की जवाबदेही लागू करने या रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने हेतु मजबूत कानूनी शक्तियों की आवश्यकता है। यह एक सख्त कानूनी तंत्र विकसित करने के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय प्राधिकरण एक निश्चित समय सीमा के भीतर ऑडिट पैरा (लेखा परीक्षा आपत्तियों) का जवाब दें। यह अधिनियम स्थानीय लेखा परीक्षा के निदेशक को वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को सीधे सरचार्ज (अधिभार) नोटिस जारी करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त करेगा। यह अधिनियम वैधानिक समर्थन प्रदान करेगा जो लेखा परीक्षा ढांचे को स्थानीय राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचाता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए राज्य विधानमंडल को वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपने के लिए वैधानिक समय सीमा अनिवार्य करता है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 26 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

राज्य सरकार सभी स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थानों तथा स्थानीय निधि के लिए और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों के लिए एक प्रभावी और कुशल लेखापरीक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा विधेयक, 2026 अधिनियमित करने जा रही है; जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग (2010–2015) की रिपोर्ट– खंड–I के पैराग्राफ 10.161 के उप–पैराग्राफ (ii) में सिफारिशें की गई हैं।

लेखापरीक्षा की लागत के भुगतान के प्रावधान को संरेखित करने के लिए, विभाग लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान करने के एवज में सभी स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थानों तथा स्थानीय निधि आदि से लेखापरीक्षा शुल्क लेगा।

हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा विधेयक, 2026 का प्रस्तावित अधिनियमन (धारा–15) इस प्रकार है:

"15. (1) सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेखों तथा संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा की लागत सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जाएगी।

(2) सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन लेखा–परीक्षा की लागत का भुगतान करने के दायित्व से किसी प्राधिकरण को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दे सकती है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन लेखा–परीक्षा की देय लागत का भुगतान इसके देय होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है, तो सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, ऐसे प्राधिकरण को भुगतान योग्य अनुदान या अन्य धनराशि, यदि कोई हो, के सापेक्ष उसे समायोजित कर सकती है:

परन्तु यदि ऐसे प्राधिकरण को कोई अनुदान या अन्य राशि भुगतान योग्य नहीं है, तो लेखा–परीक्षा की लागत, निदेशक द्वारा ऐसी रीति में वसूल की जाएगी, जो विहित की जाए।"

तदनुसार, हरियाणा स्थानीय लेखा– परीक्षा विधेयक, 2026 आवश्यक है।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा विधेयक, 2026 का मकसद सभी स्थानीय प्राधिकरणों और उनसे जुड़े अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थाओं के लिए एक असरदार और कुशल ऑडिट सिस्टम बनाना है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय फंड रखने वाली जवाबदेह और ऑडिट–योग्य संस्थाओं के लिए सही ऑडिट सिस्टम के जरिए जवाबदेही को आसान बनाना है।

हरियाणा स्थानीय लेखापरीक्षा विधेयक, 2026 की **धारा–3** विभिन्न प्रकार के लेखों की लेखा परीक्षा आयोजित करने के प्रावधान के संबंध में है, जैसे कि वार्षिक/द्विवार्षिक, पूर्व–लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा या पश्च–लेखा–परीक्षा आदि। **धारा–4:** अनुसूची में शामिल नहीं किए गए कुछ प्राधिकरणों, निकायों, संस्थानों या निधियों के लेखों का लेखा–परीक्षण करने की शक्ति, जो कि ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी, जो निदेशक और ऐसे प्राधिकरण, निकाय, संस्थान या निधि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के मध्य करार की जाएँ। **धारा–5:** लेखा–परीक्षा के लिए समय पर खाते तैयार करने और प्रस्तुत करने की कार्यकारी प्राधिकरण की जिम्मेदारी/दायित्व। **धारा–6:** खातों के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज लेखा परीक्षा के स्थान पर प्रस्तुत करने और लेखा–परीक्षा के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति की मांग करने की शक्ति। खातों से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए लेखापरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना (स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि का प्रशासन करने वाले प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी)। **धारा–7:** अध्यपेक्षा की अवज्ञा हेतु शास्ति। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अध्यपेक्षा की अनुपालना में लापरवाही करता है या इनकार करता है, वह ऐसी शास्ति से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये से कम नहीं हो सकेगी, और जिसे पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। **धारा–8:** धारा 5 के तहत लेखा–परीक्षा के लिए तैयार और प्रस्तुत किए गए लेखों का लेखा–परीक्षण पूरा करना, जो छह महीने की अवधि से अधिक नहीं या जैसा निर्धारित किया जाए, पूरा किया जाएगा। **धारा–9:** लेखा–परीक्षा रिपोर्ट ऑडिट पूरा होने के बाद तीन महीने के भीतर कार्यकारी प्राधिकरण और ऐसे अधिकारियों तथा निकायों या संस्थाओं को भेजी जाएगी। **धारा–10:** लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की विषय–वस्तु, जैसे कि कोई भी ऐसा भुगतान जो किसी कानून या सरकार के आदेश के विपरीत किया गया प्रतीत होता है, किसी व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार के कारण हुई किसी कमी या नुकसान की राशि आदि। **धारा–11:** लेखा–परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो जारी करने वाले प्राधिकरण और प्राप्त करने वाले प्राधिकरण दोनों के लिए परिभाषित है। **धारा–12:** निदेशक द्वारा अवैध भुगतानों और उपेक्षा या कदाचार के कारण हुए हानि पर अधिभार लगाना और इस धारा के तहत परिभाषित इसकी प्रक्रिया। अधिभार का अर्थ ऐसी राशि, जिसके लिए निदेशक, किसी व्यक्ति को धनराशि या संपत्ति की हानि, बर्बादी, दुरुपयोग, दुर्विनियोग के लिए जिम्मेदार ठहराता है। **धारा–13:** लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की आपत्तियों के निपटारे, राज्य के प्रधान महालेखाकार से संपर्क करने आदि के संबंध में निदेशक की शक्तियाँ। **धारा–14:** निदेशक की शक्तियों और कृत्यों के प्रत्यायोजन से संबंध में। **धारा–15:** लेखा–परीक्षण की जाने वाली संस्थाओं का लेखा–परीक्षा आयोजित करने के लिए लेखा–परीक्षा की लागत का भुगतान के तरीके को परिभाषित करना। **धारा–16:** विस्तृत लेखा–परीक्षा से छूट देने की शक्ति, ताकि ऐसे खातों या लेन–देन के ऑडिट के संबंध में ऐसी सीमित जांच लागू की जा सके, जैसा कि निदेशक उचित समझे। **धारा–17:** किसी स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरण, निकाय या संस्थान के धनराशि या सामान के गबन या हानि की रिपोर्ट, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण धनराशि या सामान के गबन या हानि का पता चलने पर; इस तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा तुरंत निदेशक को दी जाएगी। **धारा–18:** स्थानीय लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के खातों पर समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें ऐसे विवरण शामिल हों जिन्हें वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता है, और सरकार प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र समेकित रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी। **धारा–19:** इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करके कार्य कर रहे लेखापरीक्षकों को दीवानी मुकदमों से बचाने के लिए दीवानी अदालतों के अधिकारिता का वर्जन। **धारा–20:** इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण के संबंध में खातों के लंबित लेखा–परीक्षा के लिए विशेष प्रावधान, जिसे निदेशक द्वारा जारी रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा। **धारा–21:** अन्य अधिनियमों पर अधिनियम का अध्यारोही होना–इस अधिनियम के उपबंध, राज्य की विधायिका द्वारा बनाई गई तथा तत्समय लागू अन्य विधि में दी गई असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। **धारा–22:** सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। यह प्रावधान करने के लिए कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली किसी भी बात के लिए, निदेशक या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी। **धारा–23:** यह परिभाषित करने के लिए कि निदेशक या अन्य अधिकारी भारतीय न्याय संहिता, 2023 (केंद्रीय अधिनियम 2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक होंगे। **धारा–24:** इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। **धारा–25:** इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। **धारा–26:** अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति–आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। **धारा–27:** व्यावृत्ति–अधिनियम प्रारंभ होने से पूर्व के मामलों, वाद, अपील, पुनरीक्षण याचिका या किसी अन्य कार्यवाही पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

कार्यपालिका को शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। इसलिए, हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 126 में यथा–अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन है।

12821—H.V.S.—H.G.P., Pkl.